

आदेश न इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण  
प्रकरण संख्या : 58/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय- 4<sup>th</sup> फ्लोर, विनायक हाईड्स, गौतम मार्ग,  
वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री गोपीराम पुत्र श्री गंगाराम,  
पता:- प्लॉट नं. 208, तारा नगर ए, खिरनी फाटक, गोविन्द नगर, जयपुर  
एवं संतोकाबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल, कमरा नं. 273, ग्राउण्ड फ्लोर, फ्रंट ऑफ यूनिनियन बैंक,  
दुर्लभजी हॉस्पिटल, रामबाग चौराहा, टोंक रोड़, जयपुर  
एवं फ्लैट नं. एफ-3, प्रथम तल, प्लॉट नं. 2, स्कीम गोविन्द सरोवर, हाथोज, कालवाड़ रोड़,  
जयपुर।
2. श्रीमती ममता पत्नी श्री गोपीराम,  
पता:- प्लॉट नं. 208, तारा नगर ए, खिरनी फाटक, गोविन्द नगर जयपुर  
एवं 85-86, तारा नगर सी, झोटवाड़ा, जयपुर  
एवं फ्लैट नं. एफ-3, प्रथम तल, प्लॉट नं. 2, स्कीम गोविन्द सरोवर, हाथोज, कालवाड़ रोड़,



अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The  
Securitisation and Reconstruction of Financial  
Assets and Enforcement of Security Interest Act,  
2002

उपस्थित :- श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 26.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.02.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती ममता पत्नी श्री गोपीराम के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 2, स्कीम गोविन्द सरोवर, हाथोद, कालवाड़ रोड़, जयपुर के प्रथम तल पर स्थित फ्लैट नं.एफ-3, क्षेत्रफल 806.25 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 12,47,591/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.11.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का

जिला मजिस्ट्रेट  
(दिलवाड़ा) जयपुर (ग्रामीण)



भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 12,47,591/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 14,13,515/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.11.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती ममता पत्नी श्री गोपीराम के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 2, स्कीम गोविन्द सरोवर, हाथोद, कालवाड़ रोड़, जयपुर के प्रथम तल पर स्थित प्लेट नं.एफ-3, क्षेत्रफल 806.25 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पोबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दर्ज हो।



आदेश आज दिनांक 26.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलकट्ट) जयपुर (ग्रामीण)